रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 690] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2014/पौष 3, 1936
No. 690] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2014/PAUSHA 3, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 15 दिसम्बर, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सत्रहवां संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 914(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) (इसके बाद 'मूल विनियमावली' के रूप में संदर्भित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सत्रहवां संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(बी) वे 15 दिसंबर 2014 से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम), विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में,

I. विनियम 2 में ;

(ए) खंड (ii सी) के बाद, निम्नलिखित नया खंड अंतर्निहित किया जाएगा, अर्थात :—

"(iiसीसी) 'घरेलू अभिरक्षक' का तात्पर्य प्रतिभूतियों के अभिरक्षक, भारतीय निक्षेपागार, निक्षेपागार सहभागी, अथवा किसी बैंक से है जिसे अभिरक्षक के रूप में सेवाएं देने के लिए सेबी की अनुमति प्राप्त है ।"

(बी) खंड (iiडी) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतर्निहित किया जाएगा, अर्थात:—

"(iiडीडी) 'निक्षेपागार रसीद' का तात्पर्य विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत लिखत से है, जो चाहे किसी अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो अथवा नहीं, जो विदेशी निक्षेपागार को जारी अथवा अंतरित पात्र प्रतिभूतियों के प्रति विदेशी निक्षेपागार द्वारा अनुमत अधिकार क्षेत्र में जारी किया गया हो और घरेलू अभिरक्षक के पास जमा किया गया हो एवं उसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(44) में यथा परिभाषित 'वैश्विक निक्षेपागार रसीद' शामिल है।"

II. मौजूदा विनियम 13 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"13. निक्षेपागार रसीदें जारी करना

13ए. कोई पात्र व्यक्ति निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 के अनुसार निक्षेपागार रसीदें जारी करने के प्रयोजन हेतु किसी विदेशी निक्षेपागार को पात्र प्रतिभूतियां अनूसूची 10 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत जारी अथवा अंतरित कर सकता है ।

13बी. भारत से बाहर की निवासी कोई पात्र कंपनी भारत में निवासी और भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति को भारतीय निक्षेपागार रसीदें (IDRs) घरेलू निक्षेपागार के माध्यम से अनुसूची 7 के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत जारी कर सकती है ।"

III. विनियम 14में, उप-विनियम 5 में, खंड (vi) में "अनुसूची 1, 2, 3, 6, और 8 के अंतर्गत" शब्दों को "अनुसूची 1, 2, 3, 6, 8 और 10 के अंतर्गत" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

3. अनुसूची 1 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम), विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, अनुसूची 1 में,

(ए) पैराग्राफ 4, 4ए, और 4बी को हटा दिया जाएगा।

(बी) पैराग्राफ 6 को हटा दिया जाएगा ।

(सी) संलग्नक 'बी' में, प्रविष्टि संख्या 7.5 में, "अमरीकी निक्षेपागार रसीदें (ADRs), वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (GDRs)" शब्दों को "इस विनियमावली की अनुसूची 10 के अंतर्गत, अंतर्निहित ईक्विटी शेयरों अथवा अनिवार्यत: और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों अथवा अनिवार्यत: और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा वारंटों अथवा किसी अन्य प्रतिभूति जिन में मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता हो, सहित जारी निक्षेपागार रसीदें" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(डी) संलग्नक 'बी' में, प्रविष्टि संख्या एफ़. 2.2 में, "वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (GDRs)/अमरीकी निक्षेपागार रसीदें (ADRs)" शब्दों को "इस विनियमावली की अनुसूची 10 के अंतर्गत, अंतर्निहित ईक्विटी शेयरों अथवा अनिवार्यत: और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों अथवा अनिवार्यत: और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा वारंटों अथवा किसी अन्य प्रतिभूति जिनमें मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता हो, सहित जारी निक्षेपागार रसीदें" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

4. मौजूदा अनुसूची 9 के बाद नई अनुसूची 10 अंतर्निहित की जाएगी ।

[सं. फेमा. 330/2014-आरबी]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:—मूल विनियमावली 8 मई, 2000 के सा.का.नि. सं. 406(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:—

सा.का.नि. सं. 158(अ), दिनांक 02.03.2001
सा.का.नि. सं. 175(अ), दिनांक 13.03.2001
सा.का.नि. सं. 182(अ), दिनांक 14.03.2001
सा.का.नि. सं. 4(अ), दिनांक 02.01.2002
सा.का.नि. सं. 574(अ), दिनांक 19.08.2002
सा.का.नि. सं. 223(अ), दिनांक 18.03.2003
सा.का.नि. सं. 225(अ), दिनांक 18.03.2003
सा.का.नि. सं. 558(अ), दिनांक 22.07.2003
सा.का.नि. सं. 835(अ), दिनांक 23.10.2003
सा.का.नि. सं. 899(अ), दिनांक 22.11.2003
सा.का.नि. सं. 12(अ), दिनांक 07.01.2004
सा.का.नि. सं. 278(अ), दिनांक 23.04.2004
सा.का.नि. सं. 454(अ), दिनांक 16.07.2004
सा.का.नि. सं. 625(अ), दिनांक 21.09.2004
सा.का.नि. सं. 799(अ), दिनांक 08.12.2004
सा.का.नि. सं. 201(अ), दिनांक 01.04.2005
सा.का.नि. सं. 202(अ), दिनांक 01.04.2005
सा.का.नि. सं. 504(अ), दिनांक 25.07.2005
सा.का.नि. सं. 505(अ), दिनांक 25.07.2005
सा.का.नि. सं. 513(अ), दिनांक 29.07.2005
सा.का.नि. सं. 738(अ), दिनांक 22.12.2005
सा.का.नि. सं. 29(अ), दिनांक 19.01.2006
सा.का.नि. सं. 413(अ), दिनांक 11.07.2006
सा.का.नि. सं. 712(अ), दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 713(अ), दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 737(अ), दिनांक 29.11.2007
सा.का.नि. सं. 575(अ), दिनांक 05.08.2008
सा.का.नि. सं. 896(अ), दिनांक 30.12.2008
सा.का.नि. सं. 851(अ), दिनांक 01.12.2009
सा.का.नि. सं. 341 (अ), दिनांक21.04.2010
सा.का.नि. सं. 821(अ), दिनांक 10.11.2012
सा.का.नि. सं. 606(अ), दिनांक 03.08.2012
सा.का.नि. सं. 795(अ), दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 796(अ), दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 797(अ), दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 945(अ), दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 946(अ), दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 38(अ), दिनांक 22.01.2013
सा.का.नि. सं. 515(अ), दिनांक 30.07.2013
सा.का.नि. सं. 532(अ), दिनांक 05.08.2013
सा.का.नि. सं. 341(अ), दिनांक 28.05.2013
सा.का.नि. सं. 344(अ), दिनांक 29.05.2013
सा.का.नि. सं. 195(अ), दिनांक 01.04.2013
सा.का.नि. सं. 393(अ), दिनांक 21.06.2013
सा.का.नि. सं. 591(अ), दिनांक 04.09.2013
सा.का.नि. सं. 596(अ), दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 597(अ), दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 681(अ), दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 682(अ), दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 818(अ), दिनांक 31.12.2013
सा.का.नि. सं. 805(अ), दिनांक 30.12.2013
सा.का.नि. सं. 683(अ), दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 189(अ), दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 190(अ), दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 270(अ), दिनांक 07.04.2014
सा.का.नि. सं. 361(अ), दिनांक 27.05.2014
सा.का.नि. सं. 370(अ), दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 371(अ), दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 435(अ), दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 400(अ), दिनांक 12.06.2014
सा.का.नि. सं. 436(अ), दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 487 (अ), दिनांक 11.07.2014
सा.का.नि. सं. 632 (अ), दिनांक 02.09.2014
सा.का.नि. सं. 798 (अ), दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 799 (अ), दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 800 (अ), दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 829 (अ), दिनांक 21.11.2014
सा.का.नि. सं. ---------- दिनांक --------------

अनुसूची 10
[विनियम 13(ए)देखें]

पात्र व्यक्ति(यों) द्वारा निक्षेपागार रसीदों को जारी करने के प्रयोजन हेतु विदेशी निक्षेपागार को पात्र प्रतिभूतियों का निर्गम/अंतरण

I. पात्र प्रतिभूतियों का निर्गम/अंतरण

(ए) भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति इस विनियमावली के तहत अनुसूची 1, 2, 2ए, 3, 5 और 8 के अंतर्गत जिन प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए अनुमत है, वे प्रतिभूतियां निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 के अनुसार निक्षेपागार रसीदें जारी करने हेतु पात्र होंगी ।

(बी) निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 में यथा उपबंधित निक्षेपागार रसीदें जारी करने के प्रयोजन हेतु कोई व्यक्ति किसी विदेशी निक्षेपागार को पात्र प्रतिभूतियाँ जारी करने अथवा अंतरित करने के लिए पात्र होगा।

(सी) कोई घरेलू अभिरक्षक भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की ओर से, इस प्रकार क्रय की गई पात्र प्रतिभूतियों को निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 के अनुसार निक्षेपागार रसीदों में परिवर्तित करने के प्रयोजन हेतु खरीद सकता है।

(डी) भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा पहले से धारित (held) पात्र प्रतिभूतियों सहित विदेशी निक्षेपागारों को निर्गमित अथवा अंतरित पात्र प्रतिभूतियों की समग्रता (aggregate), मौजूदा विदेशी मुद्रा प्रबंध विनियमावली, समय-समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत ऐसी पात्र प्रतिभूतियां विदेशी धारिता सीमा से अधिक नहीं होगी।

(ई) निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 और उसके अंतर्गत समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, निक्षेपागार रसीदों के निर्गम हेतु पात्र प्रतिभूतियां जारी/अंतरित की जा सकेंगी ।

II. अनुमत प्रतिभूतियों की कीमत का निर्धारण

किसी विदेशी निक्षेपागार को निक्षेपागार रसीदें जारी करने के लिए पात्र प्रतिभूतियों की कीमत, समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत किसी घरेलू निवेशक को तदनुरूपी प्रक्रिया से ऐसी प्रतिभूतियाँ जारी करने अथवा अंतरण के लिए लागू कीमत से कम नहीं होगी ।

III. रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ

निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 के अनुसार निक्षेपागार रसीदों के निर्गम घरेलू अभिरक्षक रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसे फ़ार्मेट एंव तरीके से प्रस्तुत करेगा जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया हो ।

IV. विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड और सामान्य शेयर (निक्षेपागार रसीद प्रणाली) योजना, 1993 के अंतर्गत जारी निक्षेपागार रसीदों के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 के तदनुरूपी उपबंधों के अंतर्गत जारी की गई हैं और वे इस अनुसूची में निधारित उपबंधों का अनुपालन करेंगी।

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, 15th December, 2014

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Seventeenth Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 914(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of security by a person resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.20/2000-RB, dated May 3, 2000), (hereinafter referred to as 'the principal Regulations') namely:—

1. Short Title & Commencement

(a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Seventeenth Amendment) Regulations, 2014.

(b) They shall come into force from December 15, 2014.

2. Amendment of the Regulations:-

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB, dated 3rd May, 2000),

I. In Regulation 2:

a) after clause (iic), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(iicc) 'Domestic Custodian' means a custodian of securities, an Indian depository, a depository participant, or a bank and having permission from SEBI to provide services as custodian."

b) after clause (iid), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iidd) 'Depository Receipt' means a foreign currency denominated instrument, whether listed on an international exchange or not, issued by a foreign depository in a permissible jurisdiction on the back of eligible securities issued or transferred to that foreign depository and deposited with a domestic custodian and includes 'global depository receipt' as defined in section 2(44) of the Companies Act, 2013."

II. For the existing Regulation 13 the following shall be substituted:

"13. Issue of Depository Receipts.

13A. An eligible person may issue or transfer eligible securities to a foreign depository for the purpose of issuance of depository receipts in terms of Depository Receipts Scheme, 2014, subject to the terms and conditions specified in Schedule 10.

13B. An eligible company resident outside India may issue IDRs through a Domestic Depository, to persons resident in India and outside India, subject to the terms and conditions specified in Para 1 of Schedule 7."

III.In Regulation 14, in sub-regulation 5, in clause (vi) for the words "under Schedule 1,2,3,6 and 8", the words, "under Schedule 1,2,3,6, 8 and 10" shall be substituted.

3. Amendment to Schedule 1

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.20/2000-RB, dated May 3, 2000), in Schedule 1,

a) paragraph 4, 4A and 4B shall be deleted.

b) paragraph 6 shall be deleted.

c) in Annex B, in entry No. 7.5 for the words, "American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs)", the words "Depository Receipts issued under Schedule 10 of these Regulations with equity shares or compulsorily and mandatorily convertible preference shares or compulsory and mandatorily convertible debentures or warrant or any other security in which foreign direct investment can be made in terms of Schedule1 of the principal Regulations, as underlying" shall be substituted.

d) in Annex B, in entry No. F.2.2, for the words "GDR/ADR'', the words "Depository Receipts issued under Schedule 10 of these Regulations with equity shares or compulsorily and mandatorily convertible preference shares or compulsory and mandatorily convertible debentures or warrant or any other security in which foreign direct investment can be made in terms of Schedule1 of the principal Regulations, as underlying" shall be substituted.

4. After the existing Schedule 9, new "Schedule 10" shall be inserted.

[No. FEMA. 330/ 2014-RB]

B. P. KANUNGO, Prl. Chief General Manager

Foot Note:—The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 406(E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:—

G.S.R. No. 158(E), dated 02.03.2001

G.S.R. No. 175(E), dated 13.03.2001

G.S.R. No. 182(E), dated 14.03.2001

G.S.R. No. 4(E), dated 02.01.2002

G.S.R. No. 574(E), dated 19.08.2002

G.S.R. No. 223(E), dated 18.03.2003

G.S.R. No. 225(E), dated 18.03.2003

G.S.R.N o. 558(E), dated 22.07.2003

G.S.R. No. 835(E), dated 23.10.2003

G.S.R. No. 899(E), dated 22.11.2003

G.S.R. No. 12(E), dated 07.01.2004

G.S.R. No. 278(E), dated 23.04.2004

G.S.R. No. 454(E), dated 16.07.2004

G.S.R. No. 625(E), dated 21.09.2004

G.S.R. No. 799(E), dated 08.12.2004

G.S.R. No. 201(E), dated 01.04.2005

G.S.R. No. 202(E), dated 01.04.2005

G.S.R. No. 504(E), dated 25.07.2005

G.S.R. No. 505(E), dated 25.07.2005

G.S.R. No. 513(E), dated 29.07.2005

G.S.R. No. 738(E), dated 22.12.2005

G.S.R. No. 29(E), dated 19.01.2006

G.S.R. No. 413(E), dated 11.07.2006

G.S.R. No. 712(E), dated 14.11.2007

G.S.R. No. 713(E), dated 14.11.2007

G.S.R. No. 737(E), dated 29.11.2007

G.S.R. No. 575(E), dated 05.08.2008

G.S.R. No. 896(E), dated 30.12.2008

G.S.R. No. 851(E), dated 01.12.2009

G.S.R. No. 341 (E), dated 21.04.2010

G.S.R. No. 821 (E), dated 10.11.2012

G.S.R. No. 606(E), dated 03.08.2012

G.S.R. No. 795(E), dated 30.10.2012

G.S.R. No. 796(E), dated 30.10.2012

G.S.R. No. 797(E), dated 30.10.2012

G.S.R. No. 945 (E), dated 31.12.2012

G.S.R. No.946(E), dated 31.12.2012

G.S.R. No. 38(E), dated 22.01.2013

G.S.R. No. 515(E), dated 30.07.2013

G.S.R. No. 532(E), dated 05.08.2013

G.S.R. No. 341(E), dated 28.05.2013

G.S.R. No. 344(E), dated 29.05.2013

G.S.R. No. 195(E), dated 01.04.2013

G.S.R. No. 393(E), dated 21.06.2013

G.S.R. No. 591(E), dated 04.09.2013

G.S.R. No. 596(E), dated 06.09.2013

G.S.R. No. 597(E), dated 06.09.2013

G.S.R. No. 681(E), dated 11.10.2013

G.S.R. No. 682(E), dated 11.10.2013

G.S.R. No. 818(E), dated 31.12.2013

G.S.R. No. 805(E), dated 30.12.2013

G.S.R. No. 683(E), dated 11.10.2013

G.S.R. No. 189(E), dated 19.03.2014

G.S.R. No. 190(E), dated 19.03.2014

G.S.R. No. 270(E), dated 07.04.2014

G.S.R. No. 361(E), dated 27.05.2014

G.S.R. No. 370(E), dated 30.05.2014

G.S.R. No. 371(E), dated 30.05.2014

G.S.R. No. 435 (E), dated 08.07.2014

G.S.R. No. 400 (E), dated 12.06.2014

G.S.R. No. 436 (E), dated 08.07.2014

G.S.R. No. 487 (E), dated 11.07.2014

G.S.R. No. 632 (E), dated 02.09.2014

G.S.R. No. 798 (E), dated 13.11.2014

G.S.R. No. 799 (E), dated 13.11.2014

G.S.R. No. 800 (E), dated 13.11.2014

G.S.R. No. 829 (E), dated 21.11.2014

G.S.R. No. ----------dated -----------------

SCHEDULE 10

[See Regulation (13A)]

Issue/transfer of eligible securities to a foreign depository for the purpose of issuance of depository receipts by eligible person(s)

I. Issue/Transfer of eligible securities

a) Securities in which a person resident outside India is allowed to invest under Schedule1, 2, 2A, 3, 5 and 8 of these Regulations shall be eligible securities for issue of Depository Receipts in terms of Depository Receipts Scheme, 2014 (DR Scheme 2014).

b) A person will be eligible to issue or transfer eligible securities to a foreign depository for the purpose of issuance of depository receipts as provided in DR Scheme, 2014.

c) A domestic custodian may purchase eligible securities on behalf of a person resident outside India, for the purpose of converting the securities so purchased into depository receipts in terms of, DR Scheme, 2014.

d) The aggregate of eligible securities which may be issued or transferred to foreign depositories, along with eligible securities already held by persons resident outside India, shall not exceed the limit on foreign holding of such eligible securities under the extant Foreign Exchange Management regulations, as amended from time to time.

e) The eligible securities shall be issued/transferred to a foreign depository for the purpose of issue of depository receipts in accordance with the DR Scheme, 2014 and guidelines issued by Central Government thereunder from time to time.

II. Pricing of eligible Securities

The eligible securities shall not be issued or transferred to a foreign depository for the purpose of issuing depository receipts at a price less than the price applicable to a corresponding mode of issue or transfer of such securities to domestic investors under FEMA, 1999 as amended from time to time.

III. Reporting Requirements

The issue of depository receipts as per DR Scheme, 2014 shall be reported to the Reserve Bank by the domestic custodian in such formats and in such manner as may be prescribed by the Reserve Bank from time to time.

IV. Depository Receipts issued under the Issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993 shall be deemed to have been issued under the corresponding provisions of DR Scheme, 2014 and have to comply with the provisions laid out in this Schedule.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.